राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक: एफ 33(1) खा.वि/प्रोक्यो/आरएमएस/2026-27 जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

संशोधित दिशा-निर्देश

आरएमएस 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु गिरदावरी व्यवस्था व पंजीकृत किसानों द्वारा फसल बेचान हेतु स्लॉट बुकिंग के क्रम में

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25/03/2026 द्वारा जारी रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण सम्बन्धी दिशा-निर्देश की निरंतरता में गिरदावरी व्यवस्था व पंजीकृत किसानों द्वारा फसल बेचान हेतु स्लॉट बुकिंग के क्रम में जारी दिशा-निर्देश के बिंदु संख्या 03 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है: -

बिंदु संख्या 03: - ऐसी तहसील / गाँव जहाँ राजस्व / भू-प्रबंधन विभाग द्वारा आदिनांक गिरदावरी का कार्य ऑनलाइन नहीं किया गया है, केवल उन क्षेत्रों के पंजीकृत किसानों की ऑफलाइन गिरदावरी (जो कि सम्बंधित पटवारी द्वारा प्रमाणित हो) को ही पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान उपलब्ध कराया जाकर खरीद की जाएगी | ऐसे किसानों द्वारा पंजीकरण वरीयता के आधार पर गेहूँ तुलाई हेतु स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी |

शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे | यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है |

(महावीर प्रसाद व्यास)
उपायुक्त (पंचम)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि/वित्त/राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर।
9. प्रबंध निदेशक, राजफैड/तिलम संघ/RSWC, राजस्थान, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान, जयपुर।
12. वरिष्ठ निदेशक (आईटी), NIC प्रकोष्ठ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
14. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. राज्य प्रमुख, नाफेड/NCCF, जयपुर।
16. समस्त जिला रसद अधिकारी।

Signature valid
Digitally signed by Mahaveer Prasad Vyas
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2026.03.27 17:49:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21302485
eSign 1.0

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक: एफ 33(1) खा.वि/प्रोक्यो/आरएमएस/2026-27 जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

दिशा-निर्देश

आरएमएस 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु गिरदावरी व्यवस्था व पंजीकृत किसानों द्वारा फसल बेचान हेतु स्लॉट बुकिंग के क्रम में

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03/02/2026 व 16/03/206 द्वारा जारी रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण सम्बन्धी दिशा-निर्देश की निरंतरता में गिरदावरी व्यवस्था व पंजीकृत किसानों द्वारा फसल बेचान हेतु स्लॉट बुकिंग के क्रम में निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किये जाते है: -

1) आरएमएस 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु पंजीकृत किसानों से उनकी नवीनतम उपलब्ध गिरदावरी अनुसार उसकी वास्तविक उपज की मात्रा तक की खरीद की जावेगी, जिसका राज्य खरीद पोर्टल द्वारा स्वतः आंकलन किया जावेगा एवं किसान द्वारा उतनी ही मात्रा का समर्थन मूल्य पर बेचान किया जा सकेगा |
2) किसान की वास्तविक उपज की मात्रा के आंकलन हेतु गिरदावरी 2026 को प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जावेगी तथा गिरदावरी 2026 उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गिरदावरी 2025 अनुसार खरीद की जावेगी |
3) ऐसी तहसील / गाँव जहाँ राजस्व / भू-प्रबंधन विभाग द्वारा आदिनांक गिरदावरी का कार्य ऑनलाइन नहीं किया गया है, केवल उन क्षेत्रों के पंजीकृत किसानों की ऑफलाइन गिरदावरी (जो कि सम्बंधित तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हो) को ही पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान उपलब्ध कराया जाकर खरीद की जाएगी | ऐसे किसानों द्वारा पंजीकरण वरीयता के आधार पर गेहूँ तुलाई हेतु स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी |
4) गिरदावरी 2025 व 2026, दोनों ही उपलब्ध न होने की स्थिति में किसान को स्लॉट बुकिंग का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जाएगा व तदनुसार किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर अपनी उपज का बेचान नहीं किया जा सकेगा |
5) किसान को गेहूँ तुलाई हेतु स्लॉट बुकिंग के लिए, प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक, आगामी सप्ताह में फसल बेचान हेतु लाए जाने के क्रम में पोर्टल के माध्यम से सहमति प्रदान करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा |
6) किसान द्वारा दी गई सहमति के आधार पर पोर्टल द्वारा आगामी सप्ताह हेतु पंजीकरण वरीयता के आधार पर “पहले आओ पहले पाओ (FIFO)” सिद्धांत अनुसार तुलाई की दिनांक का आवंटन कर दिया जाएगा |
7) पोर्टल द्वारा किसानों को तुलाई की दिनांक का आवंटन सम्बंधित क्रय केन्द्र की दैनिक खरीद क्षमता के आधार पर ही किया जाएगा | ऐसे किसान जिन्हें आगामी सप्ताह में दैनिक खरीद क्षमता पूर्ण होने के कारण स्लॉट आवंटित नहीं किया जा सका हो, उन्हें उससे आगामी सप्ताह में स्लॉट आवंटन में प्राथमिकता से पंजीकरण वरीयता अनुसार शामिल कर तुलाई दिनांक आवंटित की जाएगी | उक्त प्रक्रिया सतत् रूप से खरीद अवधि तक जारी रहेगी |
8) ऐसे पंजीकृत किसान जो किन्हीं कारणवश आवंटित दिनांक को केन्द्र पर उपस्थित होने में असमर्थ है, उनका पूर्व स्लॉट स्वतः ही निरस्त माना जाएगा तथा उन्हें पुनः स्लॉट बुकिंग करानी होगी |

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Prasad Vyas
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2026.03.25 22:23:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21262865

9) ऐसी तहसील / गाँव जहाँ राजस्व / भू-प्रबंधन विभाग द्वारा आदिनांक गिरदावरी का कार्य ऑनलाइन नहीं किया गया है, के किसानों के अलावा ऐसे किसान जिन्हें उनकी गिरदावरी 2025 अथवा 2026, दोनों ही उपलब्ध न होने के बावजूद स्लॉट का आवंटन किया गया है एवं ऐसे किसान जिनको पंजीकरण वरीयता न होने के बावजूद स्लॉट का आवंटन किया गया है, ऐसे सभी किसानों का स्लॉट आवंटन निरस्त किया जाकर उन्हें एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जाएगा | ऐसे किसानों को पुनः स्लॉट बुकिंग हेतु आवेदन करना होगा |

10) स्लॉट बुकिंग सम्बन्धी विभिन्न जानकारी किसान को एस.एम.एस. द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी |

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है |

(महावीर प्रसाद व्यास)
उपायुक्त (पंचम)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि/वित्त/राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर।
9. प्रबंध निदेशक, राजफैड/तिलम संघ/RSWC, राजस्थान, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान, जयपुर।
12. वरिष्ठ निदेशक (आईटी), NIC प्रकोष्ठ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
14. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. राज्य प्रमुख, नाफेड/NCCF, जयपुर।
16. समस्त जिला रसद अधिकारी।

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Prasad Vyas
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2026.03.25 22:23:36 IST
Reason: Approved